न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 170/2019

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. नाथाराम पुत्र श्री नैनाराम जाति– सीरवी निवासी–पृथ्वीपुरा तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.। 2. राजुराम पुत्र नेनाराम सीरवी निवासी–पृश्वीपुरा तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

तारीख रजू:.6/12/2019

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 27/02/2020

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि ग्राम– पृश्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. की सीमा में खसरा नंबर 112 रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 113 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 116 रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा आयी हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थी का सही नाम नाथाराम है जो प्रार्थी के नाम एवं जन्म तिथि बाबत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पृश्वीपुरा से जारी प्रमाण पत्र, भारत निवार्चन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक एकाउन्ट की पासबुक, युको बैंक की पासबुक, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, दो हकतर्कनामे दिनांक 31.05.2011 में दर्ज है इनकी फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ में पेश है। प्रार्थी के पिता नैनाराम फौत होने पर प्रार्थी के नाम नामान्तरण भरते समय प्रार्थी का नाम नाथाराम दर्ज नहीं कर नाथूराम पुत्र नैनाराम दर्ज कर दिया, जो गलत है त्रुटि दुररूत किये जाने योग्य है। नाथूराम प्रार्थी का सही नाम नहीं है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नामान्तरकरण में गलत नाम नाथूराम रह जाने से कठिनाई होगी व कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न हो जायेगी ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही प्रार्थी के गलत नाम नाथूराम को दुरूस्त कर सही नाम नाथाराम दर्ज करने के आदेश दिलावें। राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.08.2019 को प्रथम बार लेने पर प्रार्थी को जानकारी में आया कि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

उसका गलत नाम नाथूराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जो ऐसी रेकर्ड की दुरुस्ती लिपिकीय त्रुटि होने के कारण कानूनन किसी भी समय ध्यान में आने 136 आर एल आर एक्ट के तहत श्रीमान को रेकर्ड दुरुस्ती का अधिकार है राजूराम प्रार्थी का सगा भाई होने व राजस्व रेकर्ड में काश्तकार होने से आवश्यक पक्षकार है। उसके खिलाफ कोई दादरसी नहीं चाही गई है। प्रार्थी अपने नाम दुरुस्ती करने हेतु तहसीलदार जी से दिनांक 26.08.2019 को निवेदन किया परन्तु वह इन्कार हो गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे इसलिए यह कार्यवाही श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि धारा 136 आर एल आर एक्ट के तहत जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम नाथूराम को दुरुस्त कर नाथाराम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। तहसीलदार, जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, सा. मि. है।

तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 सरहद मौजा पृश्वीपुरा पटवार मण्डल गरनिया तहसील जैतारण में खाता संख्या 76 में खसरा नंबर 112, 113, 116 व 117 कुल खसरा 04 कुल रकबा 99-16 बीघा वादी के नाम कृषि भूमि आई है। जमाबन्दी नकल संलग्न है। वादीगण के संलग्न मुल दस्तावेजात फोटोप्रति परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैक डायरी, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पंजीबद्ध हकतर्कनामा, एवं राउप्रावि पृश्वीपुरा से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण का नाम नाथाराम पुत्र नैनाराम दर्ज है। प्रतियां संलग्न है। वादीगण के पिता नैनाराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटि दुरुस्त वादीगण का नाम नाथाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर नाथुराम पुत्र नैनाराम दर्ज हो गया। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर वादीगण को जानकारी में आया कि वादी का नाम सेवन से गलत दर्ज हो गया जिससे वादीगण ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136 के तहत नाम दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है। अतः निवेदन है कि वादीगण के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवश से वादीगण का नाम नाथाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर नाथुराम पुत्र नैनाराम दर्ज हो गया जिसे नाथुराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर नाथाराम पुत्र नैनाराम दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम-पृश्वीपुरा, तहसील-जैतारण की जमाबंदी संवत 2072-2075 के खसरा संख्या 112, 113, 116, 117

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

के सहखातेदार के तौर पर नाथुराम पुत्र नैनाराम दर्ज है। वादी के दस्तावेजात फोटोप्रति परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैक डायरी, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पंजीबद्ध हकतर्कनामा, एवं राउप्रावि पृश्वीपुरा से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अनुसार वादी का नाम नाथाराम पुत्र नैनाराम दर्ज है। तहसीलदार, जैतारण ने वादी के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय उक्त त्रुटि को लिपिकीय भूल से दर्ज हो जाना अंकित किया है जिसे शुद्ध करने के लिए अभिशंषा की है। अतः हम वाद-वादी स्वीकार करना विधिक रूप से उचित मानते हैं।

::: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा-136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह ग्राम-पृश्वीपुरा, पटवार हल्का- गरनिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबंदी के खसरा नंबर 112 रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 113 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 116 रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा किस्म चाही प्रथम में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''नाथूराम पुत्र नेनाराम'' के स्थान पर सही प्रविष्टि ''नाथाराम पुत्र नेनाराम'' दर्ज करें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी कर निर्णय की प्रति प्रेषित कर 10 दिवस में निर्णय की पालना मंगवाई जाए। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 11:43:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: